व हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन–127/2025 अनवान ईम्माराम बनाम गोटाराम वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2026	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओ पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत् नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Kalpit Shivran Date: 2026.02.04 11:55:04 IST Reason: SelfAttested अधिकारी, बायतु	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : रा.आ./2026/755

दिनांक : 20.01.2026

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
इन्द्राराम पुत्र नाराणाराम जाति गरुडा निवासी खारड़ा बेरा, बोड़वा तहसील बायतु, जिला बालोतरा।		मोटाराम पुत्र भीमाराम जाति जाट निवासी खारड़ा बेरा, बोड़वा तहसील बायतु, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 127/2025

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बोड़वा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 606/281 रकबा 10.3795 हैक्टेयर व मौजा खारड़ा बेरा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 579/450 रकबा 10.6545 हैक्टेयर एवं मौजा खवालिया नाडा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 263 रकबा 3.3574 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है, एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 1000/–जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा

क्रमांक : रा.आ./2026/756–761

दिनांक : 20.01.2026

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. भु–अभिलेख निरक्षक नगोणी धत[illegible] को [illegible]।
3. पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बालोतरा को [illegible] कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर [illegible] की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी इन्द्राराम पुत्र नाराणाराम वगैरा 15
5. विप्रार्थी मोटाराम पुत्र भीमाराम वगैरा 46
6. पुलिस थानाधिकारी बायतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 11:55:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा